

वन विभाग, हरियाणा सरकार ।  
कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला शहर ।

फ़ौरैस्ट काम्प्लैक्स, कम्पनी बाग, विकास विहार के सामने, अम्बाला शहर, दूरभाष 0171-2550916

कमांक: 2811

दिनांक: 21/3/23

सेवा में,

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)  
हरियाणा पंचकुला ।

विषय: **Diversion of 0.1852 ha. of Forest Land in favour of BPCL for access to New Retail outlet at Village Kakru (WML) on Ambala-Chandigarh NH 152 in RDKM 09.162 LHS Khasra No. 20//11/2, 19/2/2, 20/2, 19//15/2, 16, 14/1, 17, 24/4. Tehsil Ambala Cantt. Distt. Ambala under Forest Division & Distt. Ambala Haryana. Proposal No. FP/HR/Approach/149102/2021**

सन्दर्भ: आपके कार्यालय का पत्र कमांक ई/एफ0सी0ए0/3309 दिनांक 22.02.2023

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भांकित पत्र द्वारा प्रस्ताव से सम्बन्धित दर्शाई गई त्रुटियों को दुरुस्त करके सूचना मद वाईज निम्न प्रकार से आपके कार्यालय को भेजी जाती है। जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है:-

1. Toposheet indicating project site is without no. प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा टोपो शीट पुनः प्रोपर लिंक पर अपलोड कर दी गई है। जिसकी प्रति साथ सलंगन है।
2. DGPS Map of CA site is not correct as one of the coordinates of the right vertices is missing and thus needs to be added. **DGPS Map** दुरुस्त करके पुनः प्रोपर लिंक पर अपलोड कर दी गई है। जिसकी प्रति साथ सलंगन है।
3. Layout Plan approved by NHA be uploaded. प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा अपरुवद्ध ले-आउट प्लान पुनः प्रोपर लिंक पर अपलोड कर दी गई है। जिसकी प्रति साथ सलंगन है।
4. In Part-II online, density of vegetation shown as 0.02 needs to be corrected. **Density of vegetation** दुरुस्त करके पुनः प्रोपर लिंक पर अपलोड कर दी गई है। जिसकी प्रति साथ सलंगन है।
5. Scientific name of some trees has been uploaded as Misc. **Scientific name** पुनः प्रोपर लिंक पर अपलोड कर दिए गए हैं।
6. In NPV calculation sheet, density of vegetation is mentioned as 0.2-4 which needs to be corrected. **NPV calculation sheet** ठीक करके प्रोपर लिंक पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिसकी प्रति साथ सलंगन है।
7. Layout plan uploaded under additional information in Part-II is divided in to four pages due to which it cannot be examined. प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा अपलोड की गई ले आउट प्लान को पार्ट-2 की **Additional Information** में अपलोड कर दिया गया है। जिसकी प्रति साथ सलंगन है।

8. CLU uploaded under additional information in part-I is related to other location hence needs to be removed from part-I. प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा अपलोड की गई सूचना प्रति साथ सलंगन है।
9. Final CLU permission has not been uploaded. प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा अपलोड की गई सूचना प्रति साथ सलंगन है।
10. Undertaking for "No other retail outlet within 300 mtrs and no Toll Plaza within 1000 mtrs on both sides of the proposed site" is required. मांगी गई सूचना **Additional Information** में अपलोड कर दिया गया है। जिसकी प्रति साथ सलंगन है।
11. FRA certificate/undertaking to provide FRA needs to be uploaded. प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा अपलोड की गई सूचना प्रति साथ सलंगन है।



वन मण्डल अधिकारी,  
अम्बाला वन मण्डल,  
अम्बाला।

पृ० क्र०:

दिनांक:

एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (एफ०सी०ए०) हरियाणा, पचकुंला के कार्यालय के क्रमांक ई/एफ०सी०ए०/3309 दिनांक 22.02.2023 के सन्दर्भ में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



वन मण्डल अधिकारी,  
अम्बाला वन मण्डल,  
अम्बाला।